कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक/1799/स्वा.वि./न.पा.नि./2017 अम्बिकापुर,दिनांक 17/08/2017

निविदा आमंत्रण सूचना

नगरपालिक निगम अम्बिकापुर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बध्याकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण कार्य कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा पशु चिकित्सा कार्य एवं संरक्षण गतिविधियों हेतु पंजीकृत एन.जी.ओ.(गैर सरकारी संगठनों) सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी निविदा कार्यालय आयुक्त नगरपालिक निगम अम्बिकापुर के नाम से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथिः– 13.09.2017
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथिः– 18.09.2017
निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि :– 25.09.2017 सांय 4.30 बजे तक

कार्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय	अमानत राशि	निविदा शुल्क
1	आवारा कुत्तों को पकड़कर बाध्यकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण।	500000.00	25000.00	750.00

नियम व शर्ते :–

1. निविदाकर्ता संस्था को अपने वैध पंजीयन, पूर्व में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा दरें नहीं खोली जावेगी।
2. आवारा कुत्तों के वंध्याकरण एवं टीकाकरण कार्य हेतु सम्पूर्ण कार्य योजना एवं आवश्यक स्थान, की व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. कुत्तों को पकड़ने के लिये प्रशिक्षित कर्मी एवं आवश्यक उपकरण फंदे, जाली आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा करनी होगी। नगर निगम केवल एक वाहन चालक सहित उपलब्ध करावेगी।
4. संस्था द्वारा पकड़े गये कुत्तों के आपरेशन(वंध्याकरण) एवं टीकाकारण के कार्य में लगने वाले सभी प्रकार के सर्जीकल उपकरण,फर्नीचर,दवाईयां वेक्सीन एवं कुत्तों के समुचित भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
5. पकड़े गये कुत्तों के वंध्याकरण का कार्य प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों के द्वारा कराया जावेगा तथा वंध्याकरण के पूर्व एवं पश्चात (प्री एंड पोस्ट आपरेटिव) की सभी सावधानियां एवं संक्रमण की रोकथाम के सभी उपाए संस्था द्वारा करना होगा तथा आपरेशन के पश्चात कुत्तों को न्यूनतम 5 दिन तक पोस्ट आपरेटिव केयर हेतु रखा जावेगा।
6. आपरेशन के लिये जिन स्थानों/मोहल्लों से कुत्ते पकड़े जावेगें आपरेशन के पश्चात कुत्तों को उन्हीं स्थान/मोहल्लों में वापस छोड़ना होगा तथा इस आशय का पंचनामा वार्ड के पार्षद/नागरिकों से प्राप्त करना होगा।

PANDEY HELATH

Scanned by CamScanner

7. वंध्याकरण किये गये कुत्ते के कान पर अंग्रेजी के 'व्ही' के आकार के अमिट चिन्ह से स्थायी रूप से चिन्हांकित करना होगा। ताकि यह पता चल सके कि इस कुत्तें का वंध्याकरण किया जा चुका है तथा संस्था द्वारा प्रतिमाह कम से कम 1000 कुत्तों का वंध्याकरण एवं टीकाकरण का कार्य पूर्ण करना होगा।
8. संस्था को नगर निगम अम्बिकापुर के जो कर्मचारी कुत्ते पकड़ने के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है उन्हें निःशुल्क रूप से प्रशिक्षित करना होगा।
9 कुत्तों को पकड़ने एवं वंध्याकरण कार्य के दौरान संस्था के कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना के लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। नगर निगम इस संबंध में किसी व्यय अथवा उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगी।
10. कुत्तों के वंध्याकरण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही (करप्ट प्रेक्टिस) क्षम्य नहीं होगी, तथा शल्य क्रिया से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां का पालन करना अनिवार्य होगा। लापरवाही पाये जाने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. कुत्तों के वंध्याकरणा एवं टीकाकरण कार्य के निरीक्षण हेतु नगर निगम द्वारा गठित टीम के निम्न सदस्य होगें।
    1. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक
    2. शासकीय पशु चिकित्सक
12. संस्था द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात किये गये कार्य का देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। देयक का सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
13. संस्था को छ.ग.शासन के श्रम नियमों का पालन करना होगा।
14. नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण, श्रम विभाग एवं विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन प्राथमिकर्ता के आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी विवाद में महापौर परिषद नगरपालिक निगम अम्बिकापुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

क्रमांक / 1807 / स्वा.वि. / न.पा.नि. / 2017 अम्बिकापुर,दिनांक 17/ 8 / 2017

प्रतिलिपिः—

1. माननीय महापौर / सभापति महोदय नगरपालिक निगम अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
2. प्रभारी सदस्य खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग न.पा.नि. अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
3. नगरपालिक निगम के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4. नगरपालिक निगम अम्बिकापुर की अधिकृत वेबसाईट www.nagarnigamambikapur.com अपलोड कर प्रकाशन करने हेतु प्रेषित साथ ही निर्देशित किया जाता है कि अपलोड करने पश्चात स्वास्थ्य विभाग को अनिर्वायतः सूचित किया जावे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

NDEX HELATH

Scanned by CamScanner